

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 06, शुक्रवार, शाके 1948- मार्च 27, 2026 Chaitra 06, Friday, Saka 1948- March 27, 2026	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 25, 2026

No. F. 2(13)Vidhi/2/2026.- The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 24th day of March, 2026 is hereby published for general information:-

**THE RAJASTHAN SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS
(AMENDMENT) ACT, 2026**

(Act No. 5 of 2026)

(Received the assent of the Governor on the 24th day of March, 2026)

An

Act

further to amend the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have been come into force on and from 17th December, 2025.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In the definition of “apprentice” in section 2 of the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Act No. 31 of 1958), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression “a person, aged not less than twelve years”, the expression “a person, aged not less than fourteen years” shall be substituted.

3. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In section 7 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) for the existing expression “nine hours”, the expression “ten hours” shall be substituted;

(b) in the second proviso, for the existing expression "exceed fifty", the expression "exceed one hundred forty four" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the existing expression "twelve and fifteen", the expression "fourteen and eighteen" shall be substituted.

4. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In section 9 of the principal Act, for the existing word "five", wherever occurring, the word "six" shall be substituted.

5. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In section 21 of the principal Act, for the existing word "twelve", the word "fourteen" shall be substituted.

6. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In section 22 of the principal Act, for the existing expression "child between the ages of 12 and 15", the expression "child between the ages of fourteen and eighteen" shall be substituted.

7. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 3 of 2025) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

राघवेन्द्र काछवाल,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 2026

संख्या प.2(13)विधि/2/2026.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान शोप्स एण्ड कोमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट्स (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, 2026 (एक्ट नं. 5 ऑफ 2026)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2026

(2026 का अधिनियम संख्यांक 5)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 मार्च, 2026 को प्राप्त हुई)

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह 17 दिसम्बर, 2025 को और से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 2 का संशोधन.-** राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 31), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2(1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बारह वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चौदह वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 7 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 7 की,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "नौ घंटों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस घंटों" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास से अधिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ चवालीस से अधिक" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बारह और पन्द्रह" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चौदह से अठारह" प्रतिस्थापित की जायेगी;

4. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 9 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 9 में, जहां कहीं भी आये विद्यमान शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "छह" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 21 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 21 में, विद्यमान शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "चौदह" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 22 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 22 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बारह से पन्द्रह" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चौदह से अठारह" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. **निरसन और व्यावृत्तियां.-** (1) राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाईयां या किये गये आदेश, इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

राघवेन्द्र काछवाल,

प्रमुख शासन सचिव।